न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया(गिरिडीह)

प्रभु महतो बनाम् परनी देवी

विविध वाद संख्या –100 / 2024

U/S – **BNSS 163**

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. प्रभु महतो, पिता – सोमर महतो,
साकिन – पीपराडीह, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. परनी देवी, पति – स्व0 जगरनाथ महतो,
साकिन – पीपराडीह, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
पिपराडीह	64	2057	04 डी0 मधे $1\frac{1}{3}$ डी0	उ0– विसुन कुरमी, द0– रास्ता, पु0– कम्मल महतो वगै0, प0– प्रभु दयाल महतो

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष / उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक – 09.05.2024 को निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. सोमर महतो बनाम् प्रभु दयाल महतो के केवाला की छायाप्रति – कुल 10 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. प्रभु दयाल महतो के नाम से ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 09.05.2024 को समर्पित लिखित कथन में, संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

10.09.2024

आवेदन का प्वांइट नं0 04 – यह कि प्रथम पक्ष को जमीन दानपत्र से हासिल है दानपत्र प्रभुदयाल महतो के स्वयं के नाम से हासिल है। दानपत्र सोमर महतो, पिता – स्व0 नेमा महतो के द्वारा हासिल है। दानपत्र दिनांक – 08.07.1993 को हासिल है। दान पत्र संख्या – 8137 है।

आवेदन का प्वांइट नं0 05 – यह कि उपरोक्त सम्पति का दाखिल खारिज करवाकर जमाबंदी अंचल कार्यालय सरिया में प्रभुदयाल महतो के नाम पर दर्ज है जो पंजी 2 के भोलुम नं0 – 02, पेज नं0 – 109 में दर्ज है। जिसका राजस्व रसीद वर्ष 2023 तक निर्गत है। जिसका रसीद संख्या – 0861643698

आवेदन का प्वांइट नं0 06 – यह कि प्रथम पक्ष का जमीन अंचल + थाना – सरिया, मौजा – पिपराडीह, थाना नं0 – 50, खाता नं0 – 64, प्लॉट नं0 – 2057, रकबा – 04 डी0 मधे रकबा – $1\frac{1}{3}$ डी0 चौहदी उ0 – विसुन कुरमी, द0 – रास्ता, पु0 – कम्मल महतो वगै0, प0 – प्रभु दयाल महतो अवस्थित है।

आवेदन का प्वांइट नं0 07 – यह कि 29.04.2024 को द्वित्तीय पक्ष के सदस्यगण कुछ गुन्डो के साथ उपरोक्त जमीन पर आये और उस जमीन पर ईटा इक्ट्ठा करके और नीव खोदना शुरू कर दिया। प्रथम पक्ष और उनके परिवार के सदस्यगण उन्हें नीव खोदने से रोका तो द्वित्तीय पक्ष प्रथम पक्ष और उनके परिवार के सदस्यों को परिवार के सदस्य को मारने पर उतारू हो गये। परन्तु मोहल्ले के लोग के समय पर हस्तक्षेप करने के स्थिति नियंत्रण में रही है। घटना के तुरंत बाद मामले की सूचना संबंधित थाने को दी गई परन्तु संबंधित थाने द्वारा अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है।

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष के द्वारा, दिनांक– 10.09.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
2. खाता नं0 – 64 के ऑफलाइन खतियान की छायाप्रति – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. चोरो कुरमी वगै0 के नाम से ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**

द्वित्तीय पक्ष के द्वारा दिनांक 10.09.2024 को समर्पित कारणपृच्छा में, संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 01 – यह कि विवादित जमीन मौजा – पिपराडीह, थाना नं0 – 50, खाता नं0 – 64, प्लॉट नं0 – 2057, रकबा – 04 डी0 है। जो उक्त जमीन द्वित्तीय पक्ष के **आजा ससुर नेमा कुरमी, पिता – चोरा कुरमी वगै0** के नाम से सर्वे खतियान दर्ज है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 02 – यह कि उपरोक्त जमीन द्वित्तीय पक्ष जो अंचल कार्यालय सरिया के मांग पंजी 2 के भाग संख्या – 01, पृष्ठ सं0 – 64 में चोरा कुरमी वगै0 के नाम से दर्ज है। जिसका साल दर साल लगान रसीद निर्गत होते चला आ रहा है जो मौजा पिपराडीह, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह के अंतर्गत अंचल सरिया के खाता नं0 – 64 थाना नं0 – 50, खेवट नं0 – 01 तौजी नं0 – 28 कुल रकबा – 8 एकड़ 75 डी0 है।

09.2024

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 03 – यह कि उक्त जमीन पर द्वित्तीय पक्ष को खतियान से हासिल होने के बाद से दखल – कब्जा में चले आ रहें हैं। वो हैं।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 05 – यह कि द्वित्तीय पक्ष एक बहुत गरीब व्यक्ति है किसी तरह मजदूरी कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते है। और द्वित्तीय पक्ष के रहने के लिए सही ढंग का घर नहीं है। जो कि द्वित्तीय पक्ष को मुख्यमंत्री अबुआ आवास मिला है जो उपरोक्त खतियानी जमीन के अपने हिस्से पर अबुआ आवास का निर्माण कार्य कर रही हूँ।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 06 – यह कि द्वित्तीय पक्ष द्वारा अबुआ आवास बनाने के लिए निब की खुदाई से लेकर निनटेल तक का कार्य पूर्ण हो चुका है तब तक प्रथम पक्ष के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई इस कारण से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष के द्वारा झुठा मुकदमा कर परेशानी किया जा रहा है।

थाना सरिया का प्रतिवेदन –

थाना प्रभारी, सरिया का ज्ञापांक – 1030/24, दिनांक – 27.05.2024 कुल – 01 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1

जाँच के क्रम में दोनों पक्षों की उपस्थिति में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजात के आधार पर जांचोपरांत ज्ञात हुआ कि वादी प्रभु महतो, पिता – सोमर महतो, सा0 – पीपराडीह, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह को **उनके पिता – सोमर महतो, पिता – स्व0 नेमा महतो** सा0 – पिपराडीह, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह के सम्पूर्ण हिस्से (सभी खाता एवं प्लॉट) का 1/3 हिस्सा दान पत्र संख्या – 8137, दिनांक – 08.07.1993 के माध्यम से वादी को हासिल है, जिसका मालगुजारी रसीद 2023 तक अंचल कार्यालय से निर्गत है। जाँच के क्रम में द्वितीय पक्ष के परनी देवी, पति – स्व0 जगरनाथ महतो सा0 – पीपराडीह थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह द्वारा खाता नं0 – 64, प्लॉट नं0– 2057, रकबा – 04 डी0 जमीन पर पूर्व से ही इनके कब्जे में है जिस पर विगत कई वर्षो से काबिज है एवं वर्त्तमान में उक्त जमीन पर अबुआ आवास का निर्माण कराया जा रहा है। जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि वादी को उनके पिता – सोमर महतो से दान पत्र के माध्यम से विपक्षी द्वारा कराए जा रहे निमार्ण वाले भूमि मे भी 1/3 हिस्सा है पर दोनो पक्षों में अबतक सभी प्लॉट में बंटवारा नहीं हुआ है।

विष्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
पिपराडीह	64	2057	04 डी0 मधे $1\frac{1}{3}$ डी0	उ0– विसुन कुरमी, द0– रास्ता, पु0– कम्मल महतो वगै0, प0– प्रभु दयाल महतो

2. उक्त विवादित भूमि खाता नं0 – 64 रैयती खाते की भूमि है, जो सर्वे खतियान में नेमा कुरमी वगैरह के नाम से दर्ज है।

3. उक्त खतियान की जमाबंदी ऑनलाइन पंजी II के भाग संख्या – 01, पृष्ठ संख्या – 64 पर चोरो कुरमी के नाम से कायम है।

10.09.2024

4. **प्रथम पक्ष का दावा है कि** उन्हें उक्त विवादित भूमि, सोमर महतो, पिता – स्व0 नेमा महतो से, दान पत्र संख्या – 8137, दिनांक – 08.07.1993 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसका दाखिल खारिज होकर, ऑनलाइन रजिस्टर 2 के भाग संख्या – 02, पृष्ठ संख्या – 109 पर जमाबंदी कायम है तथा वर्ष 2023–24 तक लगान रसीद निर्गत है।

5. **द्वित्तीय पक्ष का दावा है कि** उक्त विवादित भूमि द्वित्तीय पक्ष के आजा ससुर नेमा कुरमी, पिता – चोरा कुरमी वगै0 के नाम से सर्वे खतियान दर्ज है, अतः उक्त विवादित भूमि उन्हें खतियान से प्राप्त हुआ है।

6. थाना के प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि उक्त विवादित खाता नं0 – 64, प्लॉट नं0– 2057, रकबा – 04 डी0 जमीन पर पूर्व से ही द्वित्तीय पक्ष के कब्जे में है, एवं वर्त्तमान में उक्त जमीन पर अबुआ आवास का निर्माण कराया जा रहा है।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि वादी को उनके पिता – सोमर महतो से दान पत्र के माध्यम से उक्त विवादित प्लॉट मे भी 1/3 हिस्सा मिला हुआ है।

अतः स्पष्ट है कि उभय पक्ष एक ही खतियानी रैयत के वंशज है, प्रश्नगत विवादित जमीन केवाला के माध्यम से प्रथम पक्ष को प्राप्त है, जबकि उस पर द्वित्तीय पक्ष का दखल कब्जा है तथा उस पर द्वित्तीय पक्ष का अबुआ आवास का निर्माण हो रहा है।

अतः स्पष्ट है कि यह मामला आपसी बंटवारा और हक – हकियत से संबंधित है, और इस पर निर्णय लेना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार बाहर है।

अतः इस वाद में निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

उभय पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते है।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.09.20 16:57:14 +05:30
Location: 192.168.45.238

10.09.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी | अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया। | बगोदर–सरिया।